सत्र परीक्षण सं0–425/2020 , 651/2022 & 652/2022

UPJB010028212020

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं0–425/2020

सरकार बनाम 01. नदीम पुत्र चैयरमैन उर्फ बुन्दी ,
02. वसीम पुत्र अकील ,
निवासीगण ग्राम सकरगढ़ी , थाना हसनपुर , जिला अमरोहा।

मुकदमा अपराध सं0–108/2018
धारा– 307 भा0 दं0 सं0
थाना–सैदनंगली , जिला अमरोहा

एवं

UPJB010049662022

सत्र परीक्षण सं0–651/2022

सरकार बनाम 01. नदीम पुत्र चैयरमैन उर्फ बुन्दी ,
02. वसीम पुत्र अकील ,
निवासीगण ग्राम सकरगढ़ी , थाना हसनपुर , जिला अमरोहा।
03. तनसीर खाँ उर्फ तमसीर पुत्र लाल खाँ ,
निवासी सलारपुर खालसा , थाना रजबपुर, जिला अमरोहा।

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.08.06 16:47:25 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सत्र परीक्षण सं0–425/2020 , 651/2022 & 652/2022

मुकदमा अपराध सं0–110/2018

धारा– 413, 414, 420, 467, 468 व 471 भा0 दं0 सं0

थाना–सैदनंगली , जिला अमरोहा

एवं

UPJB010049682022

सत्र परीक्षण सं0–652/2022

सरकार बनाम वसीम पुत्र अकील ,

निवासी ग्राम सकरगढ़ी , थाना हसनपुर , जिला अमरोहा।

मुकदमा अपराध सं0–109/2018

धारा– 3/25 आयुध अधिनियम

थाना–सैदनंगली , जिला अमरोहा

निर्णय

उपरोक्त तीनों सत्र परीक्षण एक ही घटना से सम्बन्धित हैं, इसलिए इनका निस्तारण एक ही साथ किया जा रहा है। सत्र परीक्षण संख्या–425/2020 राज्य बनाम नदीम आदि की पत्रावली को अग्रणी वाद बनाया गया और इसी वाद में अभियोजन तथा बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

मामले के तथ्य–

सत्र विचारणीय मुकदमा सं0 425/2020 न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के सुपुर्दगी आदेश दिनांक **26.08.2020** एवं सत्र विचारणीय मुकदमा सं0 651/2022 व 652/2022 न्यायालय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के सुपुर्दगी आदेश दिनांक **11.08.2022** के उपरान्त सत्र न्यायालय में उपरोक्त क्रमांको पर दर्ज होने के उपरान्त संस्थित हुए , जो आज विचारण के पश्चात निर्णय के लिए प्रस्तुत हुए हैं।

2. इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 16/04/2018 को वादी मुकदमा SSI संजय कुमार चंचल मय SI संजीव कुमार मय SI विपिन कुमार मय का0 862 विक्रान्त कुमार, का0 249 अक्षय कुमार, का0 831 सचिन कुमार, का० 263 सचिन कुमार मय गाडी सरकारी बुलेरो नं0 UP 70 AG 1683 मय का0 चालक ओम सिंह के थाना हाजा से वहवाले रपट नं0 63 समय 20.10 बजे रवाना होकर वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था तलाश संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में उझारी से बुरावली को जाने वाली रोड पर मामूर थे कि जब हम लोग ग्राम फत्तेपुर खादर से गस्त करते हुए आगे बढे तो बुरावली की तरफ से एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति जीप की रोशनी में आते हुए ढलान पर दिखाई दिये कि हम पुलिस वालो ने जीप रोक कर नीजे उतर कर टार्च की रोशनी दिखाकर चैक करने के लिए मोटर साइकिल को रोकना चाहा तो तुरन्त मोटर साइकिल मोड़कर बुरावली की तरफ जाने वाली रोड पर भागना चाहा तो पुलिस वालो ने मोटर साइकिल वालो को रूकने के लिए ललकारा तो मोटर साइकिल चलाने वालो ने कहा कि वसीम मार गोली पुलिस वाले है। वसीम ने पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर किया , जिससे पुलिस वाले बाल–2 बच गये। मोटर साइकिल मोडने में मोटर साइकिल सडक पर गिर गयी। पुलिस वालो ने एक दम दबिश देकर आवश्यक बल प्रयोग करके मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति को समय करीब 22.20 बजे पकड़ लिया तथा मो० सा० चलाने वाला व्यक्ति बुरावली की तरफ भागता हुआ खेतो मे उत्तर की तरफ भाग गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम **वसीम** पुत्र अकील निवासी ग्राम सकरगढी थाना हसनपुर जिला अमरोहा बताया, जामा तलाशी पर इसके दाहिने हाथ से एक तमंचा 315 बोर जिसकी नाल लोहा 06 अंगूल, बाडी लोहा 05 अंगुल बाडी में ऊपर हैमर नीचे ट्रैगर व ट्रैगर गार्ड लगा है तथा ट्रैगर गार्ड के आगे नाल को खोलने व बन्द करने के लिए ट्रैगर नूमा लिवर लगा है बट लोहा 04 अंगुल जिस पर लकडी की चाप दो पेचो से खिची है , बट में एक छेद दार कुन्दा लगा है। तमंचे की नाल को खोलकर देखा तो नाल में एक खोखा 315 बोर फंसा है तथा नाल को सूंघा व हमराहीयान को सूंघाया तो ताजे चले बारूद की बू आ रही है तथा पहने लोवर की दाहिनी जेब से एक कारतूस 315 बोर जिन्दा बरामद हुआ। पकडे गये वसीम से भागे हुए व्यक्ति के बारे मे पूछा तो इसने **भागने वाले व्यक्ति का नाम नदीम** पुत्र चैयरमैन निवासी ग्राम सकरगढी थाना हसनपुर जिला अमरोहा बताया। मो० सा० स्पलैण्डर प्लस रंग काला स्टीकर सिल्वर रंग रजि० नं0 UP 20 AH 5376 लिखा है की R.C. वसीम से मांगी गयी तो वसीम ने उपरोक्त नं0 की R.C. गाड़ी में से निकालकर दी जिस पर चैचिस नं0 MBLHA10AND9D06807 इन्जन नं0 HA10EJD9D10132 लिखा है। इन्जन नं0 चैचिस नं0 को जिप नेट पर डाल कर देखा तो इन्जन न० चैचिस न० सही है। रजि० नं0 DL–6–SAL–5476 लिखा हुआ आया। वसीम से सख्ती से पूछताछ की गयी तो वसीम ने बताया कि यह मो० सा0 उसने तथा नदीम ने अब से करीब तीन साल पहले दिल्ली से चोरी की थी। सख्ती से पूछताछ करने पर वसीम ने बताया कि उसने तथा नदीम ने चोरी की तीन मो0 सा0 बिजली के डबल पोल के पास सड़क के बाये तरफ झाड़ियों मे छिपा रखी है। इस

मो०सा0 से हम दोनो वाहन लेने जा रहे थे, जिसमे लादकर बेचने के लिए ले जाते कि आपने पकड़ लिया। वसीम के बताये अनुसार बिजली के डबल पोल के पास पहुंचे तो झाड़ियों में खड़ी ढोरे के पिछे तीन मो0 सा० खड़ी है, जिनकी तरफ वसीम ने इशारा करके बताया कि यह वही मो०सा० है जो हमने चोरी करके बेचने के लिए ले जाने के लिए खड़ी कर रखी है। 1. बिना नं0 प्लेट हीरो होण्डा स्पलैण्डर प्रो रंग काला स्टीगर सिलवर कलर इन्जन नं0 HA10ELDHK39689 चैचिस नं0 MBLHA10ASDHK32758 , 2. रजि0 नं0 UP 23 J 6441 होरी होण्डा स्पलैण्डर प्लस रंग काला स्टीकर सिलवर कलर इन्जन नं0 HA10EFAHJ79117 चैचिस नं0 MBLHA 10EZAHJ79007 , 3. रजि० नं0 UP 21 A 4395 हीरो होण्डा पैश्चन रंग काला स्टीकर लाल इन्जन नं0 HA10EDCHC19437 चैचिस न० MBLHA10EWCHC18126 लिखा है। उपरोक्त तीनों मो0 सा0 के बारे में वसीम से पूछा तो वसीम ने बताया कि ये तीनो मोटर साइकिल आस पास के जिलो से चोरी की है। यह उसे पता नहीं कि कौन सी मोटर साइकिल किस जिले से चोरी की है। **बरामद जाली R.C. UP 20 AH 5376 के बारे में वसीम से पता किया तो बताया कि इन चोरी की मो0 सा0 के फर्जी R.C. तमसीर निवासी हैवतपुर थाना रजबपुर जिला अमरोहा से बनवाते है जिसके पिता का नाम पता नही है।** चोरी की मोटर साइकिलो पर फर्जी R.C. लगाकर अच्छे दामो में मोटर साइकिलो को बेच देते है तथा उसका हिस्सा **तमसीर** को भी देते हैं। चारों मोटर साइकिलो को कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा आने जाने वाले लोगो से गवाही के लिए कहा गया तो जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नही हुआ। बरामदा तमंचा मय जिन्दा कारतूस को एक कपड़े मे रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। मोटर साइकिलो पर चिट बन्दी की गयी। अभियुक्त को इसके जुर्म धारा 307 IPC (पुलिस मुठभेड) 25 आर्म्स एक्ट व धारा 413/414 CRPC व 420/467/468/471 IPC के जुर्म से अवगत कराया गया। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशो का पालन किया गया। फर्द बरामदगी वादी SSI ने बोल–बोल कर जीप व टार्चों की रोशनी में SI विपिन कुमार से लिखवाकर फर्द मजबून हमराहीयान को पढकर सुनाकर गवाही के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी तथा फर्द की नकल व जीडी का खुलासा वादी मुकदमा द्वारा बोल बोल कर कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर आपरेटर अभिषेक प्रसाद के द्वारा टंकित करायी गयी।

इस लिखित सूचना पर थाना सैदनंगली में दिनांक 17.04.2018 को 04:54 बजे मुकदमा अपराध सं०–108/2018 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्तगण वसीम व नदीम के विरुद्ध दर्ज किया गया तथा थाना सैदनंगली में दिनांक 17.04.2018 को 05:31 बजे मुकदमा अपराध सं०–110/2018 अंतर्गत धारा 41/102 दं0 प्र 0 सं0 व 413, 414, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता , अभियुक्तगण वसीम , नदीम व तमसीर के विरुद्ध दर्ज किया गया तथा थाना सैदनंगली में ही दिनांक 17.04.2018 को 05:14 बजे मुकदमा अपराध सं०–109/2018 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम , अभियुक्त वसीम के विरुद्ध दर्ज किया

गया। उपरोक्त मामलों की विवेचनांए की गयी तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण वसीम व नदीम के विरुद्ध अपराध सं0 108/2018 में धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र सं०–130/2018 दिनांकित 12.06.2018 तैयार करते हुए विवेचना पूरी की। अभियुक्तगण वसीम व नदीम के विरुद्ध अपराध सं0 110/2018 में धारा 413, 414, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र सं०–156/2018 दिनांकित 23.07.2018 तैयार करते हुए विवेचना पूरी की गयी । अभियुक्त तनसीर उर्फ तमसीर की गिरफतारी न होने के कारण इसके विरूद्ध अपराध सं0 110/2028 में धारा 413, 414, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अलग से आरोप पत्र सं0 156ए/2018 दिनांकित 11.11.2018 तैयार करते हुए विवेचना पूरी गयी। अभियुक्त वसीम के विरूद्ध अपराध सं0 109/2018 में धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अलग से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त सभी आरोप पत्रों पर दिनांक 18.03.2020 को न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। दिनांक 10.09.2021 को अभियुक्तगण नदीम व वसीम के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तथा दिनांक 23.01.2023 को अभियुक्तगण वसीम , नदीम व तनसीर उर्फ तमसीर के विरूद्ध धारा 413, 414, 420, 467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत तथा इसी दिनांक को ही अभियुक्त वसीम के विरूद्ध अलग से धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप तय किये गये। अभियुक्तगण ने आरोप का खण्डन किया और विचारण की मांग की। अभियोजन का साक्ष्य लेने के उपरान्त दिनांक 03.06.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त की परीक्षा धारा 313 दं0 प्र0 सं0 अंकित की गयी। अभियुक्तगण ने घटना का खण्डन किया और स्वयं को निर्दोष बताया।

3. **अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैं–**

क. मौखिक साक्ष्य

क्र0 सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रकृति
1.	पी.डब्लू. 1	हैड कां0 अभिषेक प्रसाद	एफ.आई.आर. लेखक
2.	पी.डब्लू. 2	निरीक्षक संजय कुमार	वादी मुकदमा
3.	पी.डब्लू. 3	निरीक्षक संजीव कुमार	मौके का गवाह
4.	पी.डब्लू. 4	उ0नि0 नरोत्तम सिंह	विवेचक
5.	पी.डब्लू. 5	सेवानिवृत्त उ0नि0 इन्द्रपाल	विवेचक

		सिंह	
6.	पी.डब्लू. 6	मयूर खुराना	चोरी हुई मोटर साईकिल नं0 UP21AM5969 का स्वामी
7.	पी.डब्लू. 7	सेवानिवृत्त ए.जी. 1 (डी) भारतीय खाद्य निगम योगेन्द्र पाल सिंह	चोरी हुई मोटर साईकिल नं0 UP81AJ0821 का स्वामी

ख. दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम सं0	**प्रदर्श संख्या**	**अभिलेखीय प्रपत्र**
1.	प्रदर्श क–1	मु0 अ 0 सं0 108/2018 की प्र 0 सू0 रि0
2.	प्रदर्श क–2	जी.डी.
3.	प्रदर्श क–3	मु0 अ 0 सं0 109/2018 की प्र 0 सू0 रि0
4.	प्रदर्श क–4	जी.डी.
5.	प्रदर्श क–5	मु0 अ 0 सं0 110/2018 की प्र 0 सू0 रि0
6.	प्रदर्श क–6	जी.डी.
7.	प्रदर्श क–7	फर्द
8.	प्रदर्श क–8	नक्शा नजरी
9.	प्रदर्श क–9	आरोप पत्र सं0 130/2018
10.	प्रदर्श क–10	रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
11.	प्रदर्श क–11–12	एस.टी.नं0 651/2022 में संलग्न कागज सं0 5/26 ता 5/29
12.	प्रदर्श क–13	एस.टी.नं0 651/2022 में संलग्न कागज सं0 5/21 ता 5/22
13.	प्रदर्श क–14	कागज सं0 5/15 ता 5/16

14.	प्रदर्श क–15	कागज सं0 5/9 ता 5/11
15.	प्रदर्श क–16	आरोप पत्र सं0 156/2018
16.	प्रदर्श क–17	आरोप पत्र सं0 156 ए/2018
17.	प्रदर्श क–18	जिलाधिकारी की अनुमित
18.	प्रदर्श क–19	आरोप पत्र सं0 129/2018
19.	वस्तु प्रदर्श–1	मो0 सा0 नं0 UP23J6441 के चार फोटोग्राफ
20.	वस्तु प्रदर्श –2	रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
21.	वस्तु प्रदर्श –3	तमंचे व कारतूस का पुलिंदा
22.	वस्तु प्रदर्श –4	तमंचा व खोका कारतूस
23.	वस्तु प्रदर्श –5	जिंदा कारतूस

4. **अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्षियों की मुख्य परीक्षा/सुसंगत अंश क्रमवार इस प्रकार हैं–**

साक्षी पी0 डब्लू0–1 हैड कां0 अभिषेक प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 27.02.2026 में कथन किया है कि दिनांक 17/04/2018 को मैं बतौर हैड का0 के पद पर थाना सैदनगली मे बतौर कम्प्यूटर कर्मी तैनात था। इस दिन वादी मुकदमा वरिष्ठ उ०नि० संजय अपने हमराह पुलिस कर्मचारीगण, गिरफ्तारशुदा अभियुक्त, बरामद माल मुकदमा व फर्द बरामदगी के साथ थाने पर आये थे। फर्द बरामदगी के आधार पर शब्द–व–शब्द बोल–बोलकर हैड मोहर्रिर गोपालराम ने मुझसे कम्प्यूटर पर टाईप कराकर मु0 अ 0 सं0 108/2018 धारा 307 भा० दं० सं० बनाम वसीम आदि, मु० अ० सं० 109/2018 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम वसीम व मु0 अ 0 सं0 110/2018 धारा 41/102 दं0 प्र 0 सं0, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भा० दं० सं० बनाम वसीम आदि थाना सैदनगली की प्र० सू० रि० तैयार करायी थी। जिनका खुलासा मेरे द्वारा क्रमशः जी० डी० नंबर 3 समय 04:40 बजे दिनांकित 17/04/2018, जी0 डी0 नंबर 4 समय 05:07 बजे दिनांकित 17/04/2018 व जी0 डी0 नंबर 5 समय 05:22 बजे दिनांकित 17/04/2018 में कराया गया था। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 4/1 ता 4/3 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही मु0 अ 0 सं0 108/2018 की प्र० सू० रि० है जो कि मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, इस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इसकी जी० डी० भी इसी पत्रावली पर कागज संख्या 5/5 के रूप में संलग्न है

पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली के साथ समेकित सत्र परीक्षण नंबर 652/2022 पर संलग्न कागज संख्या 4 क/1 ता 4 क/3 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह मु0 अ0 सं0 109/2018 की प्र० सू० रि० है जो कि मेरे द्वारा तैयार की गयी थी इस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया, इसकी जी० डी० इसी पत्रावली पर कागज संख्या 5/6 के रूप में मौजूद है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पत्रावली के साथ समेकित सत्र परीक्षण संख्या 651/2022 पर संलग्न कागज संख्या 4 क/1 ता 4 क/4 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही मु0 अ0 सं0 110/2018 की प्र० सू० रि० है जो कि मेरे द्वारा तैयार की गयी थी इस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया इसी पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 5/7 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही जी० डी० है जो कि मेरे द्वारा तैयार की गयी थी पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। मेरे बयान विवेचक ने लिये थे।

साक्षी पी0 डब्लू0–2 निरीक्षक संजय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 27.02.2026 में कथन किया है कि दिनांक 16/04/2018 को मै बतौर वरिष्ठ उ० नि० थाना सैदनगली पर तैनात था। इस दिन मैं अपने हमराह पुलिस कर्मचारीगण उ0 नि0 संजीव कुमार, उ० नि० विपिन कुमार, का0 बिक्रांत कुमार, का0 831 सचिन कुमार, का0 263 सचिन कुमार, का0 अक्षय कुमार व चालक का० ओम सिंह के साथ सरकारी बुलेरो गाड़ी से रपट नंबर 63 समय 20:10 बजे रवाना होकर गश्त करते हुए। जब हम लोग ग्राम फतेहपुर खादर से बुरावली की तरफ जा रहे थे तो बुरावली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति जीप की रोशनी मे आते हुए ढलान पर दिखायी दिये तभी हमने नीचे उतरकर टॉर्च की रोशनी दिखाकर चैकिंग करने के लिए रूकने का इशारा किया तो वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर बुरावली की तरफ जाने वाली रोड पर भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही हमने मोटरसाइकिल वालो को रूकने के लिए ललकारा तो मोटरसाइकिल चालक ने कहा कि वसीम पुलिस वाले है गोली मार तभी वसीम ने हम पुलिस वालो को जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे हम बामुश्किल बचे। मोटरसाइकिल मोड़ते समय उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर हड़बड़ाहट मे गिर गयी तभी हम पुलिस वालो ने तुरंत दबिश देकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति को समय करीब 22:20 बजे पकड़ लिया। मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति बुरावली की तरफ उत्तर दिशा मे खेतो की तरफ भाग गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम **वसीम** पता फर्द मुताबिक बताया इसकी जामा तलाशी पर इसके दाहिंने हाथ से अद्द तमंचा 315 बोर बरामद हुआ हुलिया फर्द मुताबिक बरामद हुआ जिसको खोलकर देखा गया तो नाल मे एक खोका कारतूस फंसा था तथा नाल को खुद व हमराही कर्मचारीगण को सुधाकर देखा गया तो उसमे से ताजे चले बारूद की गंध आ रही थी और उसके पहने लोवर की दाहिनी जेब से एक अद्द कारतूस 315 बोर जिंदा

बरामद हुआ था। पकड़े गये अभियुक्त से भागे हुए व्यक्ति के बारे मे पूछा तो उसने भागने वाले व्यक्ति का नाम **नदीम** पुत्र चेयरमेन निवासी ग्राम सकरगढ़ी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा बताया। बरामद मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस रंग काला स्टीकर सिल्वर रंग रजिस्ट्रेशन नंबर UP20AH5376 लिखा था जिसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वसीम से माँगा तो उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी से निकालकर दी जिस पर चैसिस नंबर व इंजन नंबर फर्द मुताबिक था। इंजन नंबर व चैसिस नंबर को मौके पर जब नेट पर डालकर देखा गया तो इंजन नंबर व चैसिस नंबर पर DL6SAL5476 लिखा हुआ आया था। वसीम ने पूछताछ में बताया कि यह मोटरसाइकिल मैने तथा नदीम ने अब से करीब तीन साल पहले दिल्ली से चोरी की थी। सख्ती से पूछताछ करने पर वसीम ने बताया कि मैने व नदीम ने चोरी की तीन मोटरसाइकिले यहीं सड़क के किनारे बिजली के डबल पोल के पास झाड़ियो मे छिपा रखी है, इस मोटरसाइकिल से हम दोनो वाहन लेने जा रहे थे जिसमे लादकर मोटरसाइकिलो को बेचने के लिए ले जाते, आपने हमे पकड़ लिया। वसीम के बताये अनुसार हम लोग वसीम को लेकर बिजली के डबल पोल के पास पहुँचे तो उसने झाडियो मे छिपी तीन मोटरसाइकिल की तरफ इशारा कर बताया कि यह वही मोटरसाइकिल है जो हमने चोरी करके बेचने के लिए यहाँ पर छिपा रखी थी। जिनमे एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्रो रंग काला स्टीकर सिल्वर कलर इंजन नंबर व चैसिस नंबर फर्द मुताबिक, दूसरी मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर UP23J6441 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला इंजन नंबर व चैसिस नंबर फर्द मुताबिक व तीसरी मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर UP21A4395 हीरो होण्डा पैसन रंग काला जिसका नंबर व चैसिस नंबर फर्द मुताबिक लिखा था बरामद तीनो मोटरसाइकिलो के बारे मे वसीम से पूछा तो उसने कहा कि हम यह तीनो मोटरसाइकिल आस–पास के जिलो से चोरी करके लाये है। बरामद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस पर UP20AH5376 के बारे मे वसीम से पूछा तो बताया कि इन चोरी की मोटरसाइकिलो के फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग **तमसीर** निवासी हैवतपुर थाना रजबपुर जिला अमरोहा से बनवाते है जिसके पिता का नाम मुझे पता नही है। चोरी की मोटरसाइकिलो पर फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाकर हम लोग अच्छे दामो मे बेच देते है तथा इसका हिस्सा तमसीर को भी देते है। चारो मोटरसाइकिलो को कब्जा पुलिस मे लेकर आने–जाने वाले लोगो को गवाही के लिए कहा गया तो जनता का कोई भी गवाह भलाई–बुराई के कारण गवाही को तैयार नही हुआ और बिना नाम पता बताये वहां से चला गया। बरामद तमंचा व कारतूस को नियमानुसार सील सर्वेमोहर कर नमूना मोहर बनाया गया था तथा अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया था। फर्द बरामदगी मौके पर मेरे द्वारा बोल–बोलकर जीप व टॉर्चों की रोशनी मे उ० नि० विपिन कुमार से तैयार करायी गयी थी, फर्द को मौके पर मौजूद हमराह कर्मचारीगण को पढकर सुनाकर फर्द पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को देकर उसकी अँगूठा निशानी भी फर्द पर लगवायी गयी थी। फर्द पत्रावली पर मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। इसके बाद मय माल मुकदमा व अभियुक्त के थाने पहुँचकर नियमानुसार मुकदमे

पंजीकृत कराये थे। आज माननीय न्यायालय के समक्ष थाने के पैरोकार द्वारा थाना प्रभारी की आख्या सहित उक्त अपराध मे मौके से बरामद मोटरसाइकिल UP23J6441 के चार फोटोग्राफ पत्रावली पर दाखिल किये गये जिन्हे देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही मोटरसाइकिल है जो अभियुक्त वसीम ने अपनी निंशादेही पर बरामद करायी थी पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। पत्रावली के साथ समेकित सत्र परीक्षण संख्या पर संलग्न कागज संख्या 5/2 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो घटना के समय अभियुक्त वसीम ने गाड़ी से निकालकर दी थी, पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष एक सील बंद पुलिंदा जिस पर मु0 अ0 सं0 108/2018, 109/2018 व 110/2018 थाना सैदनगली सहित अन्य विवरण अंकित है खोला गया जिसमे से एक 315 बोर का देशी तमंचा निकला जिसकी नाल मे एक खोका कारतूस भी फंसा है तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर निकला जिन्हे देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही तमंचा व कारतूस है जो कि अभियुक्त वसीम के कब्जे से मौके से बरामद हुए थे पहचानता हूँ साबित करता हूँ इस पुलिंदे वाले कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–3 तमंचे व खोका कारतूस पर संयुक्त रूप से वस्तु प्रदर्श–4 व जिंदा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–5 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

साक्षी पी0 डब्लू0–3 निरीक्षक संजीव कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 11.03.2026 में कथन किया है कि दिनांक 16/04/2018 को मैं बतौर उ० नि० थाना सैदनगली पर तैनात था। इस दिन मैं अपने हमराह पुलिस कर्मचारीगण बरिष्ठ उ० नि० संजय कुमार, उ० नि० विपिन कुमार, का० बिक्रांत कुमार, का0 831 सचिन कुमार, का0 263 सचिन कुमार, का0 अक्षय कुमार व चालक का० ओम सिंह के साथ सरकारी बुलेरो गाड़ी से रपट नंबर 63 समय 20:10 बजे रवाना होकर गश्त करते हुए जब हम लोग ग्राम फतेहपुर खादर से बुरावली की तरफ जा रहे थे तो बुरावली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति जीप की रोशनी मे आते हुए ढलान पर दिखायी दिये तभी हमने नीचे उतरकर टॉर्च की रोशनी दिखाकर चैकिंग करने के लिए रूकने का इशारा किया तो वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर बुरावली की तरफ जाने वाली रोड पर भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही हमने मोटरासाइकिल वालो को रूकने के लिए ललकारा तो मोटरसाइकिल चालक ने कहा कि वसीम पुलिस वाले है गोली मार तभी वसीम ने हम पुलिस वालो को जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे हम बामुश्किल बचे। मोटरसाइकिल मोड़ते समय उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर हड़बड़ाहट मे गिर गयी तभी हम पुलिस वालो ने तुरंत दबिश देकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति को समय करीब 22:20 बजे पकड़ लिया। मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति बुरावली की तरफ उत्तर दिशा मे खेतो की तरफ भाग गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम वसीम पता फर्द मुताबिक बताया इसकी जामा तलाशी पर इसके दाहिने हाथ से अद्ध तमंचा

315 बोर बरामद हुआ हुलिया फर्द मुताबिक बरामद हुआ जिसको खोलकर देखा गया तो नाल मे एक खोका कारतूस फंसा था तथा नाल को खुद व हमराही कर्मचारीगण को सुंघाकर देखा गया तो उसमे से ताजे चले बारूद की गंध आ रही थी और उसके पहने लोवर की दाहिनी जेब से एक अद्द कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद हुआ था। पकड़े गये अभियुक्त से भागे हुए व्यक्ति के बारे मे पूछा तो उसने भागने वाले व्यक्ति का नाम नदीम पुत्र चेयरमेन निवासी ग्राम सकरगढ़ी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा बताया। बरामद मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस रंग काला स्टीकर सिल्वर रंग रजिस्ट्रेशन नंबर UP20AH5376 लिखा था जिसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वसीम से माँगा तो उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी से निकालकर दी जिस पर चैसिस नंबर व इंजन नंबर फर्द मुताबिक था। इंजन नंबर व चैसिस नंबर को मौके पर जब नेट पर डालकर देखा गया तो इंजन नंबर व चैसिस नंबर पर DL6SAL5476 लिखा हुआ आया था। वसीम ने पूछताछ में बताया कि यह मोटरसाइकिल मैने तथा नदीम ने अब से करीब तीन साल पहले दिल्ली से चोरी की थी। सख्ती से पूछताछ करने पर वसीम ने बताया कि मैने व नदीम ने चोरी की तीन मोटरसाइकिले यहीं सड़क के किनारे बिजली के डबल पोल के पास झाड़ियो मे छिपा रखी है, इस मोटरसाइकिल से हम दोनो वाहन लेने जा रहे थे जिसमे लादकर मोटरसाइकिलो को बेचने के लिए ले जाते, आपने हमे पकड़ लिया। वसीम के बताये अनुसार हम लोग वसीम को लेकर बिजली के डबल पोल के पास पहुँचे तो उसने झाडियो मे छिपी तीन मोटरसाइकिल की तरफ इशारा कर बताया कि यह वही मोटरसाइकिल है जो हमने चोरी करके बेचने के लिए यहाँ पर छिपा रखी थी। जिनमे एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्रो रंग काला स्टीकर सिल्वर कलर इंजन नंबर व चैसिस नंबर फर्द मुताबिक, दूसरी मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर UP23J6441 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला इंजन नंबर व चैसिस नंबर फर्द मुताबिक व तीसरी मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर UP21A4395 हीरो होण्डा पैसन रंग काला जिसका नंबर व चैसिस नंबर फर्द मुताबिक लिखा था बरामद तीनो मोटरसाइकिलो के बारे मे वसीम से पूछा तो उसने कहा कि हम यह तीनो मोटरसाइकिल आस–पास के जिलो से चोरी करके लाये है। बरामद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस पर UP20AH5376 के बारे मे वसीम से पूछा तो बताया कि इन चोरी की मोटरसाइकिलो के फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग तमसीर निवासी हैवतपुर थाना रजबपुर जिला अमरोहा से बनवाते है जिसके पिता का नाम मुझे पता नही है। चोरी की मोटरसाइकिलो पर फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाकर हम लोग अच्छे दामो मे बेच देते है तथा इसका हिस्सा तमसीर को भी देते है। चारो मोटरसाइकिलो को कब्जा पुलिस मे लेकर आने–जाने वाले लोगो को गवाही के लिए कहा गया तो जनता का कोई भी गवाह भलाई–बुराई के कारण गवाही को तैयार नही हुआ और बिना नाम पता बताये वहां से चला गया। बरामद तमंचा व कारतूस को नियमानुसार सील सर्वेमोहर कर नमूना मोहर बनाया गया था तथा अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया था। फर्द बरामदगी मौके पर वरिष्ठ उ० नि० संजय कुमार द्वारा बोल–बोलकर जीप व टॉर्चों की रोशनी मे विपिन कुमार से तैयार करायी गयी थी, फर्द को मौके पर

मौजूद हमराह कर्मचारीगण को पढकर सुनाकर फर्द पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को देकर उसकी अँगूठा निशानी भी फर्द पर लगवायी गयी थी। फर्द पत्रावली पर मौजूद है जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर पूर्व मे ही प्रदर्श क–7 डाला जा चुका है। इसके बाद मय माल मुकदमा व अभियुक्त के थाने पहुँचकर नियमानुसार मुकदमे पंजीकृत कराये थे। मेरा बयान विवेचक ने लिया था।

साक्षी पी0 डब्लू0–4 सेवानिवृत्त उ0नि0 नरोत्तम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 19.03.2026 में कथन किया है कि दिनांक 23/05/2018 को मै थाना सैदनगली पर बतौर उ० नि० तैनात था। इस दिन मुझे मु० अ० सं० 108/18 धारा 307 भा0 दं० सं० बनाम नदीम आदि व मु0अ0सं0 110/18 धारा 413,414,420, 467,468, 471 IPC थाना सैदनगली जनपद अमरोहा की विवेचना प्राप्त हुई थी। इस दिन अभियुक्त नदीम को थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार कर थाना हाजा पर दाखिल किया था। मेरे द्वारा इसी दिन अभियुक्त नदीम के कथन उससे पूछताछ कर अंकित करने के उपरान्त उसे नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था। इसके बाद विवेचना पूर्व विवेचक इन्द्र पाल सिहं द्वारा की गयी थी।

साक्षी पी0 डब्लू0–5 सेवानिवृत्त इन्द्रपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 03.04.2026 में कथन किया है कि दिनांक 17/04/2018 को मैं थाना सैदनगली पर वतौर उ० नि० तैनात था। इस दिन मुझे मु० अ० सं० 108/18 धारा 307 भा0 दं० सं० बनाम वसीम आदि, मु० अ० सं० धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम वसीम व मु0अ0सं0 110/18 धारा 41/102 दं0 प्र0सं0, 413,414,420,467,468,471 भा0 दं० सं० बनाम वसीम आदि थाना सैदनगली जनपद अमरोहा की विवेचनायें मुझे मिली थी। विवेचना ग्रहण कर इस दिन मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, बयान प्र० सू० रि० लेखक हैड मोहर्रिर गोपाल राम, बयान अभियुक्त वसीम तथा वयान वादी मुकदमा वरिष्ठ उ० नि० संजय कुमार चंचल के कथन उनसे पूछताछ कर सी० डी० मे अंकित किये गये थे तथा इसी दिन अभियुक्त वसीम को नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया तथा इसी दिन सी0 डी0 –1 ए भी मेरे द्वारा किता की गयी जिसमे मेरे द्वारा उझारी चौकी पहुँचकर फर्द के साक्षी उ0नि0 संजीव कुमार के कथन उनसे पूछताछ कर अंकित करने के उपरान्त इसी साक्षी को साथ लेकर घटना स्थल पहुँचकर मेरे द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी मेरे द्वारा मेरे हस्तलेख मे तैयार किया गया था। जो कि पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 651/2022 पर कागज संख्या 5 क/1 के रूप मे मौजूद है जो कि मेरे हस्तलेख मे है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। दिनांक 21/04/2018 को फर्द के साक्षीगण उ० नि० विपिन कुमार, का0 831 सचिन कुमार, का0 263 सचिन कुमार, का0 अक्षय कुमार व का० बिक्रांत कुमार के कथन उनसे पूछताछ कर सी० डी० मे अंकित किये गये। दिनांक 28/04/2018 को नामित अभियुक्त नदीम की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी लेकिन नही मिल सका इसके उपरान्त

अभियुक्त वसीम की निंशादेही पर बरामद मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्रो के इंजन नंबर व चैसिस नंबर का मिलान एन0 सी0 आर0 बी0 के डाटा से किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल का पंजीकृत स्वामी सुधीर पुत्र तेजपाल निवासी मौ० कायस्थियान हसनपुर पाया गया इस संबंध में थाना हसनपुर पर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध मे प्र० सू० रि० नंबर 47/2016 पंजीकृत है थाना हसनपुर पर तैनात का० अतुल पाण्डेय के नंबर पर फोन करके उक्त बरामद मोटरसाइकिल के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना दी गयी। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद दूसरी मोटरसाइकिल जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर UP20AH5376 लिखा था और अभियुक्त वसीम द्वारा इसी नंबर की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वादी मुकदमा को दी गयी थी इस मोटरसाइकिल का चैसिस नंबर व इंजन नंबर का मिलान एन0 सी0 आर0 बी0 के डाटा से करने पर इस मोटरसाइकिल का सही नंबर DL6SAL5476 पाया गया था इस मोटरसाइकिल के संबंध में थाना कल्याणपुरी, दिल्ली मे प्र० सू० रि० नंबर 014342/2015 दर्ज होना पाया गया, इसकी सूचना कल्याणपुरी थाने में दी गयी। दिनांक 01/05/2018 को थाना हसनपुर पहुँचकर थाना हसनपुर के मु0अ0सं0 47/2016 की प्र0 सू० रि० प्राप्त कर उसका अवलोकन कर सी० डी० संलग्न की गयी तथा थाना सैदनगली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2018 की प्र0 सू० रि० की प्रति थाना हसनपुर पर दी गयी क्योंकि इसी अपराध मे थाना हसनपुर से संबंधित मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पेलण्डर प्रो अभियुक्तगण से बरामद हुई थी। दिनांक 04/05/2018 को चौकी उझारी से फोर्स लेकर अभियुक्त नदीम की तलाश की जो कि नही मिला उझारी के फोर्स को बापिस करके मैं थाना कल्याणपुरी, दिल्ली पहुँचा जहाँ मेरे द्वारा हमारे थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2018 की प्र0 सू० रि० की प्रति थाना कल्याणपुरी पर दाखिल करने के उपरान्त थाना कल्याणपुरी दिल्ली में पंजीकृत प्र ० सू० रि० नंबर 014342/2015 दिनांकित 27/09/2015 की प्रति प्राप्त करने के उपरान्त उसका अवलोकन कर सी०डी० संलग्न की गयी क्योंकि मु0अ0सं0 110/2018 थाना सैदनगली की घटना में अभियुक्तगण से बरामद मोटरसाइकिल की चोरी की प्र० सू० रि० थाना कल्याणपुरी, दिल्ली मे पंजीकृत थी। दिनांक 12/05/2018 को अभियुक्त नदीम की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी नही मिल सका लेकिन मुखविर खास से जानकारी मिली कि अभियुक्त नदीम के पिता को चेयरमैन तो गांव मे कहते है लेकिन उसका असली नाम बुंदी है तथा इसी दिन अभियुक्त तमसीर की तलाश हेतु ग्राम हैवतपुर पहुँचा जहाँ मुखविर खास से जानकारी मिली कि तमसीर का असली नाम तनसीर पुत्र लाल खां निवासी ग्राम सलारपुर थाना रजबपुर, अमरोहा है। तनसीर ने ही फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर अपने साथियो को दी थी। तनसीर पहले भी मोटरसाइकिलो की फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर चोरो को देता रहता है तथा कई बार जेल भी जा चका है। दिनांक 12/06/2018 को अभियुक्त नदीम की गिरफ्तारी के साक्षीगण किरनपाल सिंह, शादाब खां, का0 राजू दिवाकर वे का० राजेन्द्र कुमार के कथन उनसे पूछताछ कर जी0डी० मे अंकित किये गये तथा इसी दिन सी0 डी0–7 किता करने वाले 30 नि० नरोत्तम सिंह के कथन मेरे द्वारा

उनसे पूछताछ कर अंकित किये गये तथा इसी दिन अभियुक्तगण वसीम व नदीम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 130/2018 दिनांकित 12/06/2018 तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली पर कागज संख्या 3 क/1 ता 3 क/6 के रूप में संलग्न है इस पर मेरे हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। दिनांक 25/06/2018 को आर० टी० ओ० ऑफिस, मुरादाबाद पहुँचकर अभियुक्त वसीम की निंशादेही पर बरामद मोटरसाइकिलो मे से एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा पैसन जिस पर लगी नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर UP21A4395 अंकित था के सही रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर व चैसिस नंबर के वाहन स्वामी के संबंध मे एक रिपोर्ट देकर रिपोर्ट माँगी गयी तो उन्होने सर्च करके उसकी एक प्रति मुझे उपलब्ध करायी जिसमे इस मोटरसाइकिल का सही रजिस्ट्रेशन नंबर UP21AM5969 पाया गया तथा इसके पंजीकृत स्वामी मयूर खुराना पुत्र प्रेमप्रकाश शर्मा म 0 नं0 137 कोर्ट सरगी, सम्भल पाया गया। जिससे अभियुक्त द्वारा दी गयी इस मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फर्जी होना पाया गया। पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 651/2022 पर संलग्न कागज संख्या 5/18 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही प्रपत्र है जो मुझे आर० टी० ओ० मुरादाबाद कार्यालय द्वारा प्राप्त कराया गया था पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। अभियुक्त वसीम से बरामद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर UP23J6441 की जानकारी आर० टी० ओ० कार्यालय अमरोहा से की गयी तो उक्त मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस की डिटेल का प्रपत्र मुझे आर ० टी० ओ० कार्यालय अमरोहा द्वारा प्राप्त कराया गया जिसमे इस नंबर पर मोटरसाइकिल के स्थान पर एक्टिवा पंजीकृत होना पाया गया तथा इंजन नंबर व चैसिस नंबर भी भिन्न पाये गये इसके उपरान्त आर ० टी० ओ० कार्यालय अमरोहा ने व्हीकल पर्टिकुलर नैट पर सर्च किया तो इस मोटरसाइकिल का सही रजिस्ट्रेशन नंबर UP81AJ0821 होना पाया गया जो कि आर ० टी० ओ ० कार्यालय अलीगढ़ योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र बाबू सिंह के नाम पंजीकृत होना पाया गया। पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 651/2022 पर संलग्न कागज संख्या 5/21 व 5/22 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही प्रपत्र है जो मुझे आर ० टी० ओ० अमरोहा कार्यालय द्वारा प्राप्त कराया गया था पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–11 व प्रदर्श क–**12** डाला गया। इन प्रपत्रो से यह बात स्पष्ट हुई कि अभियुक्त वसीम की निंशादेही पर बरामद हीरो होण्डा स्पलेण्डर का असली रजिस्ट्रेशन नंबर UP81AJ0821 था जिसे मिटाकर अभियुक्तगण द्वारा फर्जी नंबर UP23J6441 अंकित किया गया था। दिनांक 15/07/2018 को अभियुक्त वसीम की निंशादेही पर बरामद मोटरसाइकिल जिस पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर UP21A4395 अंकित था के पंजीकृत स्वामी मयूर खुराना के बारे मे जानकारी की गयी तो मयूर खुराना अब आनंद विहार कॉलोनी ओल्ड टैलीफोन एक्सचेंज के पास रहने की जानकारी प्राप्त हुई तथा उनकी एक दुकान यशोदा मॉर्केट सम्भल मे होना बताया गया। मै मयूर खुराना की दुकान पर पहुँचा जहाँ मयूर खुराना द्वारा

बताया गया कि मेरी उक्त मोटरसाइकिल चोरी हो गयी थी जिसका मुकदमा मेरे पड़ोसी विपिन कुमार ने थाना कोतवाली सम्भल मे लिखाया था जिसका मु0 अ 0 सं0 355/2014 है। मेरे द्वारा सम्भल कोतवाली पहुँचकर मयूर खुराना की मोटरसाइकिल चोरी की विपिन द्वारा पंजीकृत प्र ० सू० रि0 355/2014 की प्रति प्राप्त की गयी तथा अपने थाने पर पंजीकृत अपराध 110/2018 की प्र० सू० रि० की प्रति थाना कोतवाली सम्भल को उपलब्ध करायी गयी। दिनांक 17/07/2018 को मैं अलीगढ पहुँचा जहाँ मैने अभियुक्त से बरामद मोटरसाइकिल जिसका सही रजिस्ट्रेशन नंबर UP81AJ0821 होना दौराने विवेचना पाया गया था, के स्वामी योगेन्द्र पाल सिंह से मिला जिसने मुझे बताया कि मेरी मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP81AJ0821 दिनांक 03/10/2015 को नरचर इण्टरनेशनल स्कूल के पास से चोरी हो गयी थी। जिसका मुकदमा मैने थाना क्वारसी पर पंजीकृत कराया था जिसका मु0 अ 0 सं0 881/2015 है इसके उपरान्त मेरे द्वारा थाना क्वारसी पहुँचकर अपने थाने पर पंजीकृत अ 0 सं0 110/2018 की प्र० सू० रि० की प्रति थाना क्वारसी मे उपलब्ध कराते हुए मु0 अ 0 सं0 843/2015 की प्रति उनसे प्राप्त की। प्र० सू० रि० की प्रतियाँ प्राप्त होने पर उनका अवलोकन कर संलग्न सी० डी० की गयी जो कि पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 651/2022 पर संलग्न कागज संख्या 5/26 ता 5/29 के रूप में पत्रावली पर मौजूद है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। इसी पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 5/15 ता 5/16 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही प्र० सू० रि० की सत्यप्रतिलिपि है जो । जो कि मेरे द्वारा थाना दिल्ली से प्राप्त करी गयी थी पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। इसी पत्रावली पर थाना कल्याणपुरी, संलग्न कागज संख्या 5/9 ता 5/11 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही प्र० सू० रि० की सत्यप्रतिलिपि है जो कि मेरे द्वारा थाना हसनपुर से प्राप्त करी गयी थी पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। दिनांक 23/07/2018 को अभियुक्तगण वसीम व नदीम के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 156/2018 तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली पर कागज संख्या 3 क/1 ता 3 क/6 के रूप में मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है , पहचानता हूँ , जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया तथा अभियुक्त तनसीर के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही। दिनांक 18/08/2018 को अभियुक्त तनसीर के विरूद्ध धारा 82 दं० प्र० सं० हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। दिनांक 18/09/2018 को अभियुक्त तनसीर के विरूद्ध धारा 82 दं० प्र० सं० माननीय न्यायालय से प्राप्त की गयी। दिनांक 25/09/2018 को अभियुक्त तनसीर के विरूद्ध प्राप्त धारा 82 दं0 प्र 0 सं0 की तामील उसके मसकन पर पहुँचकर की गयी। दिनांक 10/11/2018 को अभियुक्त तनसीर की गिरफ्तारी उसके घर से दौराने दबिश की गयी दौराने गिरफ्तारी अभियुक्त तनसीर घायल अवस्था मे मिला था तथा इसी दिन अभियुक्त तनसीर खां उर्फ तनसीर के कथन अंकित कर उसे नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया तथा दिनांक 11/11/2018 को अभियुक्त तनसीर के आपराधिक इतिहास

की जानकारी की गयी जिसमे उसके विरूद्ध पांच मुकदमे पंजीकृत होना पाया गया तथा इसी दिन अभियुक्त तनसीर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 156 ए/2018 दिनांकित 11/11/2018 तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 651/2022 पर मौजूद है इस पर मेरे हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–17 डाला गया। इससे पूर्व मे दिनांक 06/06/2018 को अभियुक्त वसीम के विरूद्ध धारा 25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग चलाये जाने हेतु तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त हुई जो पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 651/2022 पर कागज संख्या 5/7 के रूप में संलग्न है इस पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट महोदय के हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–18 डाला गया। दिनांक 12/06/2018 को अभियुक्त वसीम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 129/2018 दिनांकित 12/06/2018 तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 651/2022 पर कागज संख्या 3 क/1 ता 3 क/4 के रूप मे मौजूद है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–19** डाला गया।

साक्षी पी0 डब्लू0–6 मयूर खुराना ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 18.04.2026 में कथन किया है कि दिनांक 25/06/2014 को मेरी मोटरसाइकिल पैसन प्रो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP21AM5969 रंग काला मेरे घर के बाहर से चोरी हो गयी थी तथा इसी दिन मेरे से पिछली गली मे रहने वाले विपिन कुमार की मोटरसाइकिल हीरो होण्डा पैसन प्रो भी चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट हम दोनो ने मिलकर एक साथ सम्भल कोतवाली में दिनांक 28/06/2014 को काफी ढूँढने के प्रयास करने के बावजूद न मिलने पर लिखवायी थी। मेरी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस मैने करा रखा था, इस कारण हमारे द्वारा लिखाये गये मुकदमें में पुलिस को जब मोटरसाइकिले नही मिली तो थाना कोतवाली सम्भल पुलिस ने हमारे मुकदमे अ0सं0 355/2014 धारा 379 भा० दं० सं० मे अंतिम आख्या लगा दी थी और मैने अपनी मोटरसाइकिल का क्लेम कम्पनी से प्राप्त कर लिया था। वर्ष 2018 में थाना सैदनगली पुलिस मेरी दुकान पर आयी थी तथा थाना सैदनगली के दारोगा जी ने मुझे बताया था कि आपकी मोटरसाइकिल बरामद हो गयी है जो थाना सैदनगली मे खड़ी है, तो मैने दारोगा जी को बताया था कि मै तो अब उस मोटरसाइकिल का क्लेम इंश्योरेंस कम्पनी से ले चुका हूँ इसीलिए मैं अब उस मोटरसाइकिल को विधिक रूप से रिलीज नही करा सकता इसके बाद मैने यह जानकारी इंश्योरेंस कम्पनी वालो को दे दी थी। मुझसे दारोगा जी ने पूछताछ की थी और इंश्योरेंस कम्पनी वालो से भी दारोगा जी ने मेरे द्वारा नंबर उपलब्ध कराये जाने पर बातचीत की थी।

साक्षी पी0 डब्लू0–7 रि० ए० जी01 (डी) भारतीय खाद्य निगम योगेन्द्र पाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 08.05.2026 में कथन किया है कि दिनांक 03/10/2015 को मेरी

मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP81AJ0821 रंग काला नरचर इण्टर नेशनल स्कूल निकट बिजली घर क्वार्सी रामघाट रोड़ अलीगढ़ से जब मै बच्चे लेने गया था तो मोटरसाइकिल स्कूल के बाहर खड़ी कर बचो को लेने लगा तभी लगभग सवा बारह बजे दोपहर चोरी हो गयी थी। जिसकी सूचना मैने पुलिस को 100 नंबर पर उसी समय करायी थी। इसके बाद जब मोटरसाइकिल काफी ढूँढने पर भी नही मिली तो मेरे लड़के रणवीर सिहं ने मेरी मोटरसाइकिल चोरी के संबंध मे थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ मे दिनांक 11/10/2015 को मुकदमा अपराध संख्या 843/2015 धारा 379 भा० दं० सं० बनाम अज्ञात दर्ज कराया था। मैने अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस मैने करा रखा था, इस कारण हमारे द्वारा लिखाये गये मुकदमें मे पुलिस को जब मोटरसाइकिले नही मिली तो थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ पुलिस ने हमारे मुकदमे अ0सं0 843/2015 धारा 379 भा० दं० सं० मे अंतिम आख्या लगा दी थी और मैने अपनी मोटरसाइकिल का क्लेम कम्पनी से प्राप्त कर लिया था। वर्ष 2018 में थाना सैदनगली पुलिस मेरे घर नोटिस लेकर आयी थी दारोगा जी ने मुझे बताया था कि आपकी मोटरसाइकिल बरामद हो गयी है जो थाना सैदनगली मे खड़ी है, तो मैने दारोगा जी को बताया था कि मै तो अब उस मोटरसाइकिल का क्लेम इंश्योरेंस कम्पनी से ले चुका हूँ इसीलिए मैं अब उस मोटरसाइकिल को विधिक रूप से रिलीज नही करा सकता। मैने दारोगा जी से अपनी मोटरसाइकिल को लेने से इंकार कर दिया था। पत्रावली पर मौजूद प्र० सू० रि० संख्या 843/2015 थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ की प्रति को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही प्र ० सू० रि० है जो कि मेरे कहने पर मेरे पुत्र रणवीर सिहं ने दर्ज करायी थी, पहचानता हूँ इस पर पूर्व से ही प्रदर्श क–13 पड़ा है।

4. <u>बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्षियों की मुख्य परीक्षा/सुसंगत अंश क्रमवार इस प्रकार हैं</u>–

साक्षी डी0 डब्लू0–1 राबिया ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 06.07.2026 में कथन किया है कि दिनांक 15/04/2018 को रात मे समय करीब 11:30 बजे वरिष्ठ उ0न0 संजय कुमार मेरे घर पर अन्य कुछ पुलिस कर्मियो के साथ आये। पुलिस वालो ने मेरे साथ, मेरी सास मुनीशा व ददिया सास मकसूदन के साथ लाठी डण्डो के साथ काफी मारपीट की थी। इस मारपीट मे मै, मुनीशा व मकसूदन को काफी चोटे आयी थी और इस मारपीट मे मेरा घर भी गिर गया था। जिन चोटो का चिकित्सीय परीक्षण सरकारी अस्पताल अमरोहा मे हुआ था और पुलिस वाले मेरे पति वसीम को जबरदस्ती उठाकर ले गये थे और पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए अगले दिन झूठी घटना बनाकर मेरे पति वसीम को मुकदमे मे झूठा वांछित कर दिया था। मेरे साथ हुई घटना के संबध मे मैने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय अमरोहा मे परिवाद संख्या 2308/2018 दाखिल किया था जो कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27/04/2019 को निरस्त कर दिया था। मैने जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ उस परिवाद की रिवीजन किया जिसमे दिनांक 09/11/2021 को रिवीजन स्वीकार कर तलबी करने के आदेश जिला एवं

सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा किये गये। उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पुलिस पार्टी को मुल्जिम मानते हुए धारा 354,392 भा० दं० सं० मे तलब किये गये जो माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा मे विचाराधीन है।

साक्षी डी0 डब्लू0–2 मुनीशा ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 16.07.2026 में कथन किया है कि दिनांक 15/04/2018 को रात मे समय करीब 11:30 बजे वरिष्ठ उ0न0 संजय कुमार मेरे घर पर अन्य कुछ पुलिस कर्मियो के साथ आये। पुलिस वालो ने मेरे, मेरे लड़के की बहू राबिया व सास मकसूदन के साथ लाठी डण्डो के साथ काफी मारपीट की थी। इस मारपीट मे मै, राबिया व मकसूदन को काफी चोटे आयी थी और इस मारपीट मे मेरे लड़के की पत्नी राबिया का बच्चा भी गिर गया था। जिन चोटो का चिकित्सीय परीक्षण सरकारी अस्पताल अमरोहा मे हुआ था और पुलिस वाले मेरे लड़के वसीम को जबरदस्ती उठाकर ले गये थे और पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए अगले दिन झूठी घटना बनाकर मेरे लड़के वसीम को मुकदमे मे झूठा वांछित कर दिया था। मेरे साथ हुई घटना के संबध मे मैने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय अमरोहा मे परिवाद संख्या 2308/2018 मे बयान भी दिये थे जो कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27/04/2019 को निरस्त कर दिया था। उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पुलिस पार्टी को मुल्जिम मानते हुए धारा 354,392 भा० दं० सं० मे तलब किये गये जो माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा मे विचाराधीन है।

<u>बहस/अधिवक्ताओं के तर्क–</u>

बहस का आरम्भ करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कहा गया कि अभियुक्तों के द्वारा पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया है। विवेचक ने छानबीन के बाद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। फर्द बरामदगी से यह साबित है कि चुरायी हुयी सम्पत्ति (मोटर साईकिल) अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुयी और यह भी साबित है कि अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए है। अभियोजन के सभी साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षा बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। अवैध हथियारों के लिए जिलाधिकारी से ली गयी अभियोजन स्वीकृति को विवेचक ने अपने साक्ष्य से साबित किया है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि किसी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं आयी है। पुलिस की गाड़ी पर भी कोई छर्रा नहीं लगा है। हथियार को विशेषज्ञ परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया है। अभियुक्तों से मोटर साईकिलों की फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। विवेचनाधिकारी थाना प्रभारी का अधीनस्थ है , इसलिए उसने निष्पक्ष विवेचना नहीं की है। बयानों में विरोधाभास है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

6. <u>साक्ष्य का विश्लेषण–</u>

अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित है अथवा नासाबित , इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्न 06 बिन्दु विचारणीय हैं–

1. क्या दिनांक 16.04.2018 को 22.20 पर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया।

2. क्या बरामद दिखायी गयी मोटर साईकिलें चुरायी हुयी सम्पत्ति हैं ?

3. क्या बरामद दिखायी गयी मोटर साईकिलें अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुयी हैं?

4. मौके से भागे हुए अभियुक्त की पहचान ।

5. क्या अभियुक्त वसीम के कब्जे से अवैध हथियार तमंचा बरामद हुआ।

6. क्या अभियुक्तगण कूटरचना व धोखाधड़ी के दोषी हैं ?

उक्त सभी बिन्दुओं पर बिन्दुवार निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

<u>1. क्या दिनांक 16.04.2018 को 22.20 पर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया।</u>

अभियोजन का यह आरोप है दिनांक 16.04.2018 को थाने से गश्त के लिए निकले पुलिस बल पर ग्राम फत्तेपुर खादर , बुरावली रोड, सैदनंगली में अभियुक्तगण वसीम व नदीम ने पुलिस के द्वारा रोकने पर तमंचे से जान से मारने की नियत से फायर किया। अभियुक्तगण का यह कहना है कि उन्होंने कोई फायर नहीं किया।

दोनों पक्षों मे से किस पक्ष का कथन साक्ष्य से समर्थित है और विश्वसनीय है , इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभियोजन साक्षियों के बयानों के निम्न वाक्यांश सुसंगत और विचारणीय हैं–

01. दिनांक 16.04.2018 की रात्रि लगभग 10 बजे गश्त के दौरान अभियुक्तों की मोटर साइकिल को रोकने के लिए ललकारा तो मोटर साइकिल चालक ने कहा कि वसीम

पुलिस वाले हैं , गोली मार , तभी वसीम ने पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से फायर किया। – मुख्य परीक्षा साक्षी पी0 डब्लू0–02 व पी0 डब्लू0–03 ।

02. वसीम ने पुलिस पर फायर किया था , किन्तु पुलिस वालों को कोई चोट नहीं आयी थी। – प्रतिपरीक्षा साक्षी पी0 डब्लू0–02 , पेज सं0–02 ।

03. छर्रा किसी पेड़ पर भी नहीं लगा , न ही हम किसी पुलिस वालों को लगा ।– प्रतिपरीक्षा साक्षी पी0 डब्लू0–02 , पेज सं0–03 ।

04. फायर किसी को नहीं लगा था। न ही किसी पुलिस कर्मी के कोई चोट आयी थी। किसी भी पुलिसकर्मी का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ था।–प्रतिपरीक्षा साक्षी पी0 डब्लू0–03 , पेज सं0–02 ।

उपरोक्त बयानांशों से स्पष्ट हो रहा है कि अभियोजन साक्ष्य के अनुसार ही अभियुक्त वसीम की ओर से केवल एक फायर किया गया , वह भी हवाई फायर किया गया। किसी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं लगी। फायर का कहीं कोई निशान विवेचना में नहीं पाया गया। पुलिस के द्वारा कोई फायर नहीं किया गया और अभियुक्त वसीम को मौके से भी गिरफतार कर लिया गया। अभियुक्त वसीम ने भागने वाले व्यक्ति का नाम नदीम बताया था। यह घटनाक्रम स्पष्ट कर रहा है कि पुलिस को मारने की नियत से या उपहति कारित करने के आशय से अभियुक्त के द्वारा कोई फायर नहीं किया गया , बल्कि केवल बचकर भागने के उददेश्य से हवाई फायर किया जाना ही अधिकतम साबित हो रहा है , इसलिए **अभियोजन का यह आरोप संदेहास्पद है कि पुलिस पर जानलेवा हमले के लिए अभियुक्तों के द्वारा हमला किया गया।**

<u>2. क्या बरामद दिखायी गयी मोटर साईकिलें चुरायी हुयी सम्पत्ति हैं ?</u>

इस मामले के विवेचनाधिकारी पी0 डबलू0 5 तत्कालीन उ0 नि0 इन्द्रपाल सिंह के द्वारा अपने बयान से न्यायालय को यह अवगत कराया है कि दिनांक 17.04.2018 को अपराध सं0 110/2018 की विवेचना मिलने के उपरान्त अभियुक्त वसीम की निंशादेही पर बरामद मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्रो के इंजन नंबर व चैसिस नंबर का मिलान एन0 सी0 आर0 बी0 के डाटा से किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल का पंजीकृत स्वामी सुधीर पुत्र तेजपाल निवासी मौ० कायस्थियान हसनपुर पाया गया। इस संबंध में थाना हसनपुर पर उसे जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध मे प्र० सू० रि० नंबर 47/2016 पंजीकृत है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद दूसरी मोटरसाइकिल जिस पर रजिस्ट्रेशन

नंबर UP20AH5376 लिखा था और अभियुक्त वसीम द्वारा इसी नंबर की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वादी मुकदमा को दी गयी थी , इस मोटरसाइकिल का चैसिस नंबर व इंजन नंबर का मिलान एन0 सी0 आर0 बी0 के डाटा से करने पर इस मोटरसाइकिल का सही नंबर DL6SAL5476 पाया गया था तथा इस मोटरसाइकिल के संबंध में थाना कल्याणपुरी, दिल्ली मे प्र० सू० रि० नंबर 014342/2015 दर्ज होना पाया गया, इसकी सूचना कल्याणपुरी थाने में दी गयी।

इस साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि थाना कल्याणपुरी, दिल्ली में विवेचक द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2018 की प्र0 सू० रि० की प्रति थाना कल्याणपुरी पर दाखिल करने के उपरान्त थाना कल्याणपुरी दिल्ली में पंजीकृत प्र ० सू० रि० नंबर 014342/2015 दिनांकित 27/09/2015 की प्रति प्राप्त करने के उपरान्त उसका अवलोकन कर सी०डी० संलग्न की गयी क्योंकि मु0अ0सं0 110/2018 थाना सैदनगली की घटना में अभियुक्तगण से बरामद मोटरसाइकिल की चोरी की प्र० सू० रि० थाना कल्याणपुरी, दिल्ली मे पंजीकृत थी। दिनांक 25/06/2018 को आर० टी० ओ० ऑफिस, मुरादाबाद जाकर अभियुक्त वसीम की निंशादेही पर बरामद मोटरसाइकिलो मे से एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा पैसन जिस पर लगी नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर UP21A4395 अंकित था , के सही रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर व चैसिस नंबर के वाहन स्वामी के संबंध मे एक रिपोर्ट देकर रिपोर्ट प्राप्त होने पर , जिसमे इस मोटरसाइकिल का सही रजिस्ट्रेशन नंबर UP21AM5969 पाया गया तथा इसके पंजीकृत स्वामी मयूर खुराना पुत्र प्रेमप्रकाश शर्मा म0 नं0 137 कोर्ट सरगी, सम्भल पाया गया। अभियुक्त वसीम से बरामद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर UP23J6441 की जानकारी आर० टी० ओ० कार्यालय अमरोहा से की गयी तो उक्त मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस की डिटेल का प्रपत्र उसे आर ० टी० ओ० कार्यालय अमरोहा द्वारा प्राप्त कराया गया जिसमे इस नंबर पर मोटरसाइकिल के स्थान पर एक्टिवा पंजीकृत होना पाया गया तथा इंजन नंबर व चैसिस नंबर भी भिन्न पाये गये इसके उपरान्त आर ० टी० ओ० कार्यालय अमरोहा ने व्हीकल पर्टिकुलर नैट पर सर्च किया तो इस मोटरसाइकिल का सही रजिस्ट्रेशन नंबर UP81AJ0821 होना पाया गया जो कि आर ० टी० ओ ० कार्यालय अलीगढ़ योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र बाबू सिंह के नाम पंजीकृत होना पाया गया। मयूर खुराना द्वारा बताया गया कि उसकी उक्त मोटरसाइकिल चोरी हो गयी थी जिसका मुकदमा थाना कोतवाली सम्भल मे लिखाया था जिसका मु0अ0सं0 355/2014 है।

विवेचक ने आगे यह भी साक्ष्य दिया है कि दिनांक 17/07/2018 को अभियुक्त से बरामद मोटरसाइकिल जिसका सही रजिस्ट्रेशन नंबर UP81AJ0821 होना दौराने विवेचना पाया गया था, के स्वामी योगेन्द्र पाल सिंह से मिलने पर बताया कि उसकी मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP81AJ0821 दिनांक 03/10/2015 को नरचर इण्टरनेशनल स्कूल के पास से चोरी हो गयी थी। जिसका मुकदमा उसने थाना क्वारसी पर पंजीकृत कराया था जिसका मु0अ0सं0 881/2015 है।

सत्र परीक्षण सं0–425/2020 , 651/2022 & 652/2022

साक्षी पी0 डब्लू0 06 मयूर खुराना ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 25/06/2014 को उसकी मोटरसाइकिल पैसन प्रो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP21AM5969 रंग काला उसके घर के बाहर से चोरी हो गयी थी तथा इसी दिन उसकी पिछली गली मे रहने वाले विपिन कुमार की मोटरसाइकिल हीरो होण्डा पैसन प्रो भी चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट उन दोनो ने मिलकर एक साथ सम्भल कोतवाली में दिनांक 28/06/2014 को काफी ढूँढने के प्रयास करने के बावजूद न मिलने पर लिखवायी थी। उसकी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस उसने करा रखा था, इस कारण उनके द्वारा लिखाये गये मुकदमें में पुलिस को जब मोटरसाइकिले नही मिली तो थाना कोतवाली सम्भल पुलिस ने उनके मुकदमे अ0सं0 355/2014 धारा 379 भा० दं० सं० मे अंतिम आख्या लगा दी थी

साक्षी पी0 डब्लू0–7 योगेन्द्र पाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 03/10/2015 को उसकी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP81AJ0821 रंग काला नरचर इण्टर नेशनल स्कूल निकट बिजली घर क्वार्सी रामघाट रोड़ अलीगढ़ से जब वह बच्चे लेने गया था तो मोटरसाइकिल स्कूल के बाहर खड़ी कर बच्चो को लेने लगा तभी लगभग सवा बारह बजे दोपहर चोरी हो गयी थी। जिसकी सूचना उसने पुलिस को 100 नंबर पर उसी समय करायी थी। इसके बाद जब मोटरसाइकिल काफी ढूँढने पर भी नही मिली तो उसके लड़के रणवीर सिहं ने उसकी मोटरसाइकिल चोरी के संबंध मे थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ मे दिनांक 11/10/2015 को मुकदमा अपराध संख्या 843/2015 धारा 379 भा० दं० सं० बनाम अज्ञात दर्ज कराया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करा रखा था, इस कारण उसके द्वारा लिखाये गये मुकदमें मे पुलिस को जब मोटरसाइकिले नही मिली तो थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ पुलिस ने हमारे मुकदमे अ0सं0 843/2015 धारा 379 भा० दं० सं० मे अंतिम आख्या लगा दी थी

विवेचक पी0 डब्लू0 05 तथा वाहन स्वामीगण पी0 डब्लू0 06 व 07 के उपरोक्त बयानों से यह साबित है कि जो मोटर साईकिल बरामद दिखायी गयी हैं , वे सभी चुरायी हुयी सम्पत्ति है।

3. क्या बरामद दिखायी गयी मोटर साईकिल अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुयी है?

घटना के मुख्य गवाह पी0 डब्लू0 2 वादी मुकदमा द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 16/04/2018 को दबिश देकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति को समय करीब 22:20 बजे पकड़ लिया। मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति बुरावली की तरफ उत्तर दिशा मे खेतो की तरफ भाग गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम **वसीम** बताया तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम **नदीम** बताया। बरामद मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस रंग काला स्टीकर सिल्वर रंग रजिस्ट्रेशन नंबर UP–

20AH5376 लिखा था , जिसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वसीम से माँगा तो उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी से निकालकर दी। इंजन नंबर व चैसिस नंबर को मौके पर जब नेट पर डालकर देखा गया तो इंजन नंबर व चैसिस नंबर पर DL6SAL5476 लिखा हुआ आया था। वसीम ने पूछताछ में बताया कि यह मोटरसाइकिल उसने तथा नदीम ने अब से करीब तीन साल पहले दिल्ली से चोरी की थी। उन्होंने चोरी की तीन मोटरसाइकिले यहीं सड़क के किनारे बिजली के डबल पोल के पास झाड़ियो मे छिपा रखी है। वसीम ने बताया कि बिजली के डबल पोल के पास झाडियो मे छिपी तीन मोटरसाइकिल बरामद की जिनके बारे में बताया कि उन्होंने चोरी करके बेचने के लिए यहाँ पर छिपा रखी थी। जिनमे एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्रो रंग काला स्टीकर सिल्वर कलर इंजन नंबर व चैसिस नंबर फर्द मुताबिक, दूसरी मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर UP23J6441 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला इंजन नंबर व चैसिस नंबर फर्द मुताबिक व तीसरी मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर UP21A4395 हीरो होण्डा पैसन रंग काला जिसका नंबर व चैसिस नंबर फर्द मुताबिक लिखा था। बरामद तीनो मोटरसाइकिलो के बारे मे वसीम से पूछा तो उसने कहा कि वे यह तीनो मोटरसाइकिल आस–पास के जिलो से चोरी करके लाये है। बरामद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस पर UP20AH5376 के बारे मे वसीम से पूछा तो बताया कि इन चोरी की मोटरसाइकिलो के फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग तमसीर निवासी हैवतपुर थाना रजबपुर जिला अमरोहा से बनवाते है। मौके पर ही तैयार की गयी फर्द प्रदर्श क–1 को उपरोक्त साक्षी द्वारा साबित किया गया है।

प्रतिपरीक्षा में विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव को दो मुख्य बिन्दुओं पर आधारित किया है। पहला यह कि जीडी की छांयप्रति दाखिल न करने से यह साबित हो रहा है कि पुलिस दल ने चैकिंग के लिए रवानगी नहीं करायी थी और दूसरा यह कि लोगों के आवागमन वाला स्थान होने के बावजूद कोई स्वतन्त्र साक्षी प्राप्त नहीं किया गया।

इस संबंध में अभियोजन का तर्क उचित प्रतीत हो रहा है कि साक्षी पी.डब्लू. 2 और साक्षी पी.डबलू0 3 के द्वारा अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि जीडी रपट सं 63 समय 20.10 पर शान्ति व्यवस्था और चैकिंग के लिए पुलिस दल बरामद हुआ था और स्वतन्त्र साक्षियो के संबंध में साक्षी पी.डब्लू0 2 ने स्पष्ट किया है कि आने जाने वाले लोगों को गवाही के लिए कहा गया तो जनता का कोई गवाह भलाई बुराई के कारण गवाही को तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम पता बताये वहां से चले गये। सामान्य व्यक्ति का किसी मुकदमे में गवाही के लिए तैयार न होना वर्तमान समय में आम चलन में आ चुका है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने ताहिर बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 3079** से कहा है कि पुलिस कर्मियों के बयान को केवल इस आधार पर संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि वे पुलिसकर्मी है , न ही ऐसा कोई नियम है कि स्वतन्त्र साक्षियों के बयान के समर्थन के बिना पुलिस कर्मियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। आवश्यक केवल सतर्कता के साथ बयानों के परीक्षण की है।

जी0 डी0 की प्रति दाखिल न करना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पुलिस कर्मी अपने थाना क्षेत्र में बताये गये समय पर गश्त पर नहीं गये थे। कोई तथ्य साबित है अथवा नहीं , साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इसका मानक यह है कि सामान्य विवेकावान व्यक्ति उस तत्व के अस्तित्व का विश्वास करता है अथवा नहीं। पुलिस कर्मियों द्वारा स्वंय को गस्त पर होना बताया जा रहा है और जीडी रवानगी का नम्बर भी बताया जा रहा है। पुलिस कर्मी उस दिन अवकाश पर थे या दूसरे थाना क्षेत्र में तैनात थे , ऐसा कोई कथानक बचाव पक्ष का नहीं है। इन परिस्थितियों में थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी थाने में गश्त कर रहे हैं , इस तथ्य पर किसी सामान्य व्यक्ति को अविश्वास करने का कोई कारण प्राप्त नहीं हो सकता है।

विवेचक के साक्ष्य के साथ मौके के उक्त दोनों गवाहों के बयानों का सतर्कता के साथ परीक्षण यह दर्शा रहा है कि थाना क्षेत्र में घटना दिनांक को की गयी बरामदगी की मोटर साईकिल मौके से गिरफतार हुए अभियुक्त के कब्जे से ही बरामद हुयी थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि एक अन्य संवेदनशील प्रकृति के मामले में यह विचार व्यक्त किये हैं , परन्तु यह विचार किसी भी विचारण न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण है , इसलिए उनका उल्लेख यहां किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्याम सुन्दर त्रिवेदी 1995 ए.आई.आर. एस.सी. डब्लू. 2793** से कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा हर संदेह से परे सबूत स्थापित करने पर अत्यधिक जोर देना और उस पर अडिग रहना जमीनी हकीकतों , तथ्यों और मामले की विशेष परिस्थितियों को नजर अंदाज करना अक्सर न्याय में गड़बड़ी का कारण बनता है , जिससे न्याय व्यवस्था पर सवाल उठता है। अन्ततः समाज को नुकसान होता है और अपराधी को प्रोत्साहन मिलता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचारण न्यायालयों को यह सुझाव दिया है कि अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाये और संकीर्ण तकनीकी दृष्टिकोण के स्थान पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाये।**

उपरोक्त मार्गदर्शन के प्रकाश में इस मामले के उक्त वर्णित तथ्यों और साक्ष्यों का निष्कर्ष यह है कि मौके से प्राप्त हुए अभियुक्त के कब्जों से मो०सा0 की बरामदगी साबित है।

4. मौके से भागे हुए अभियुक्त की पहचान ।

अभियोजन के अनुसार घटना के समय अभियुक्तों को दबिश देकर पकड़ने के दौरान अभियुक्त नदीम मौके से फरार हो गया था। पकड़े गये अभियुक्त वसीम ने यह बताया था कि जो भागा है , वह नदीम पुत्र चेयरमेन है। तीसरे अभियुक्त तमसीर के बारे में पकड़े गये अभियुक्त वसीम ने यह बताया कि चोरी की मोटरसाइकिल की फर्जी आर.सी. तमसीर से बनवाते हैं , जिसके पता का नाम पता नहीं है तथा मोटरसाइकिल बेचकर तमसीर को उसका हिस्सा भी देते हैं। विवेचना के उपरान्त मौके से पकड़े गये अभियुक्त के साथ–साथ भागे हुए अभियुक्त नदीम व पकड़े गये

अभियुक्त वसीम के बयान में आये अभियुक्त तमसीर के विरूद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित किया गया है , जिस पर आरोप तय करने के उपरान्त उक्त तीनों अभियुक्तों का भी विचारण किया गया।

उक्त नदीम व तमसीर की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि वे घटना में सम्मलित नहीं थे , इसलिए सह–अभियुक्त के द्वारा नाम ले देने मात्र से अपराध साबित नहीं होता है। अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

मौके से कथित रूप से भागे हुए अभियुक्त नदीम व सह–अभियुक्त के बयान में नाम आने वाले तीसरे अभियुक्त तमसीर की पहचान के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध निम्न साक्ष्यांश विचारणीय हैं–

01. भागे हुए अभियुक्त नदीम को हम पहले से नहीं जानते थे तथा नदीम से कोई मोटर साइकिल बरामद नहीं हुयी थी। नदीम के नाम पर कोई भी मोटर साइकिल नहीं थी–वादी मुकदमा साक्षी पी0 डब्लू–02 , प्रतिपरीक्षा पेज सं0–02 व 03 ।

02. नदीम की कद काठी इस समय ध्यान नहीं है–मौके का साक्षी पी0 डब्लू0–03 , जिरह पेज सं0– 02 ।

उक्त साक्ष्यांशों के साथ यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तों की कोई पहचान परेड नहीं करवाई गई।

अतः स्पष्ट हो रहा है कि भागे हुए अभियुक्तों की कोई पहचान विवेचक ने किसी भी माध्यम से करने का प्रयास नहीं किया है , केवल मौके से पकड़े गये अभियुक्त के द्वारा बताये गये नामों के आधार पर अभियुक्तगण नदीम व तमसीर को आरोपित किया गया है। सह–अभियुक्त के द्वारा बताये गये नामों के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध पत्रावली पर नहीं है। मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मचारी के द्वारा जिन भागे हुए अभियुक्त को देखना बताया है , उससे अभियुक्त की गिरफतारी के पश्चात कोई पहचान न कराना और न्यायालय में बयान के दौरान भी अभियोन अधिकारी द्वारा अभियुक्त की पहचान के संबंध में कोई बयान दर्ज न कराना , अभियोजन की ऐसी गम्भीर त्रुटि है , जिसका लाभ पाने के अधिकारी उक्त अभियुक्तगण हैं , इसलिए निष्कर्ष यह है कि मौके से भागे हुए अभियुक्तों की पहचान नहीं हो सकी है। **अतः अभियुक्तगण नदीम व तमसीर की पहचान साबित करने में अभियोजन विफल रहा है।**

5. क्या अभियुक्त वसीम के कब्जे से अवैध हथियार तमंचा बरामद हुआ।

अभियुक्तों को मौके से गिरफतार करने वाले साक्षी पी0 डब्लू0–02 निरीक्षक संजय कुमार का बयान है कि पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल से भागने पर दौड़कर अभियुक्त को पकड़ा गया।

पकड़े गये अभियुक्त वसीम के कब्जे से एक 315 बोर का देशी तमंचा बरामद हुआ जिसकी नाल को खोलकर देखा उसमें एक खोका कारतूस फंसा हुआ था तथा एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

मामले कायम करने वाले साक्षी पी0 डब्लू0–01 हैड कां0 अभिषेक प्रसाद ने अभियुक्तों के विरूद्ध प्र 0 सू0 रि0 दर्ज करने का साक्ष्य दिया है। साक्षी पी0 डब्लू0–02 , पी0 डब्लू0–03 जिनके द्वारा अभियुक्तों को गिरफतार किया गया था , ने गिरफतारी का समय 22.20 बजे का बताया है। उक्त साक्षियों ने यह बताया कि वे 16.04.2018 को शांति व्यवस्था में और वांछित अपराधी की तलाश में निकले थे। गिरफतारी के बाद मौके पर ही फर्द तैयार की गयी थी।

मामले की विवेचना करने वाले साक्षी पी0 डब्लू0–05 उ 0 नि0 इन्द्रपाल सिंह का बयान है कि उसके द्वारा नकल चिक तसकरा पूछताछ सलग्न सी०डी० किया गया। बयान एफ०आई० आर० लेखक तथा बयान अभियुक्त अंकित किये। घटना का नक्शा तैयार किया गया। अभियुक्त वसीम से बरामद तमंचे की विवेचना भी उसके द्वारा की गयी , जिनका अभियोग चलाने हेतु अनुमति ततकालीन जिला मजिस्ट्रेट महोदय अमरोहा से दिनांक 06.06.2018 को प्राप्त की थी जो पत्रावली पर मौजूद है। विवेचना उपरांत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अपराध संख्या 109/2018 बनाम वसीम के विरुद्ध आरोप पत्र को प्रदर्श क 19 के रूप में साबित किया।

बचाव पक्ष ने दो आधारों पर , अभियोजन के मामले को प्रश्नगत किया है। पहला यह कि कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है , दूसरा यह कि हथियारों को विशेषज्ञा परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया।

अभियोजन का यह स्पष्टीकरण है कि गवाही देने के लिए कहा गया , कोई तैयार नहीं हुआ। हथियार चालू अवस्था में थे , यह तत्कालीन उ 0 नि0 संजय कुमार ने गिरफतारी के समय ही स्वयं ही परीक्षित किया था। हथियार चालू अवस्था में है अथवा नहीं , यह निष्कर्ष उक्त साक्षी ही निकाल सकते हैं , क्योंकि पुलिसकर्मियों को हथियार चलाने और रख रखाव करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

अभियोजन का स्पष्टीकरण विद्यमान परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो रहा है। प्रयोगशाला परीक्षण वहां आवश्यक होता , जहां उस हथियार से चली हुयी गोली किसी व्यक्ति को लगी या किसी स्थान से बरामद हुयी , यह परीक्षण किया जाना होता। पुलिस कर्मी इस बात को स्वयं तय करने में सक्षम हैं कि हथियार चालू अवस्था में है अथवा नहीं।

निष्कर्ष यह है **अभियोजन का मामला अवैध हथियार की बरामदगी के लिए अभियुक्त वसीम के विरूद्ध साबित है।**

6. क्या अभियुक्तगण कूटरचना व धोखाधड़ी के दोषी हैं ?

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के लिए यह आवश्यक है कि मोटरसाईकिलों को अपनी सम्पत्ति दर्शाकर किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित करके कोई लाभ प्राप्त किया गया हो या उसे प्रवंचित किया गया हो कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति पूर्णतः या अंशतः अभियुक्त को प्रदान कर दे , अर्थात धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के लिये तीन तथ्य आवश्यक है , पहला अभियुक्त , दूसरा सम्पत्ति तथा तीसरा एक अन्य व्यक्ति , जिसे प्रवंचित किया गया हो , परन्तु इस प्रस्तुत मामले में अभियोजन ऐसे किसी व्यक्ति का कोई कथन भी प्रस्तुत नहीं कर रहा है , जिसे अभियुक्तो ने मोटरसाईकिल बेचने का प्रयास किया हो या मोटरसाईकिल के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई लाभ लेने का प्रयास किया हो , इसलिए **धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप इस मामले में साबित नहीं हो रहा है।**

कूटरचना का अरोप यह है कि अभियुक्तगण वसीम व नदीम , अभियुक्त तमसीर से फर्जी प्रपत्र तैयार करवाते थे। अभियुक्त तमसीर को गिरफतार करने वाले विवेचक पी0 डब्लू0 05 का बयान है कि अभियुक्त तमसीर की गिरफतारी उसके द्वारा की गयी थी। अभियुक्त तमसीर से गिरफतारी के समय कोई बरामदगी नहीं हुयी थी। अभियुक्तगण से आर.सी. बनाने का कोई उपकरण या नम्बर बदलने की कोई मशीन भी बरामद नहीं हुयी थी।

अतः स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धोखाधड़ी व कूटरचना का आरोप भी संदेह से परे साबित नहीं हो पाया है।

7. अंतिम निष्कर्ष–

अभियुक्तगण **नदीम** और **वसीम** पुलिस पर हत्या के आशय से हमले के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

अभियुक्त **वसीम** अवैध तमंचा रखने के लिए दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

अभियोजन के साबित मामले के अनुसार अभियुक्त वसीम के बताये अनुसार चोरी की मोटर साईकिल को झाड़ियों में छिपाया हुआ था। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त या तो मोटर साईकिल को छिपाने या व्ययनित करने या इधर–उधर करने के प्रयास में था , इसलिए यह कृत्य धारा 414 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का गठन कर रहा है , जिसके लिए 03 वर्ष तक के लिए दण्ड या अर्थदण्ड या दोनों प्रकार के दण्ड की व्यवस्था है। अभ्यस्तः होना दर्शाने के लिए कोई पुराना क्रिमीनल रिकॉर्ड / दोषसिद्धि या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है , इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 413 भा0 दं0 सं0 का आरोप साबित नहीं है।

उपरोक्तानुसार केवल अभियुक्त **वसीम** के विरूद्ध धारा 414 भा0 दं0 सं0 का आरोप संदेह से परे साबित है, जिसके लिए अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

अभियुक्तगण नदीम व तमसीर को न तो मौके पर पकड़े गये , न ही विवेचना में उनके कब्जे से कोई सम्पत्ति बरामद हुयी , जबकि अभियोजन द्वारा लगाये आरोप के लिए कब्जे में चुरायी हुयी सम्पत्ति का बरामद होना अनिवार्य है। इन परिस्थितियों के केवल सह–अभियुक्त द्वारा अभियोजन के साक्षियों को दी गयी जानकारी के आधार पर अभियुक्तगण नदीम व तमसीर को दोषसिद्ध किया जाना सम्भव नहीं है। **अतः अभियुक्तगण नदीम व तनसीर खाँ उर्फ तमसीर संदेह का लाभ पाने के अधिकारी है।**

अभियुक्त **वसीम** न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्त वसीम को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

दण्ड पर सुनवायी के लिए पत्रावली अपराहन में प्रस्तुत की जाये।

दिनांक– 06.08.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा

8. दण्ड पर सुनवाई–

पत्रावली अपराह्न में प्रस्तुत हुई। दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षों को सुना गया।

अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि प्रथम अपराध है। अभियुक्त पर परिवार की जिम्मेदारी है , इसलिए कम से कम दण्ड दिया जाये। आर्थिक स्थिति कमजोर है , इसलिए कम से कम अर्थदण्ड दिया जाये और यदि सम्भव हो तो परिवीक्षा का लाभ दिया जाये।

अभियोजन की ओर से आपत्ति करते हुए ए.डी.जी.सी. द्वारा कहा गया कि अभियुक्त के द्वारा अवैध हथियारों को रखने का तथा चोरी की मोटर साईकिलों को व्ययनित करने का अपराध सीधे समाज को प्रभावित करने वाला अपराध है , इसलिए कठोर दण्ड देना आवश्यक है।

अपराध की प्रकृति के कारण परिवीक्षा का लाभ उचित प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि अवैध हथियारों लेकर विचरण करना समाज को प्रभावित करने वाला और आपराधिक तत्वों को प्रोत्साहित करने वाला अपराध है। ऐसे अपराधियों को दण्ड देकर ऐसे कृत्यों को पुनरावृत्ति रोकने और दण्ड से भयभीत कर अपराध छोड़कर पुनः समाज की मुख्य धारा में आने के लिए दण्ड दिया जाना आवश्यक है। वाहन की चोरी से भी समाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। दोनों अपराध सीधे पूरे समाज को प्रभावित करने वाले अपराध हैं।

अतः अभियुक्त **वसीम** को आयुध अधिनियम की धारा 25 खण्ड 1–बी के लिए 01 वर्ष का कारावास 1000/– रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 414 भा0 दं0 सं0 के लिए 03 वर्ष का कारावास 1000/– रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिए 01 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया जाना उचित पाया जा रहा है।

सत्र परीक्षण सं0–425/2020 , 651/2022 & 652/2022

आदेश

अभियुक्त **वसीम** को सत्र परीक्षण सं0 651/2022 (मुकदमा अपराध सं0 110/2018) में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा **414** भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करते हुए **03 वर्ष के कारावास व 1000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा रहा है।**

अभियुक्त वसीम को सत्र परीक्षण सं0 652/2022 (मुकदमा अपराध सं0 109/2018) में लगाये गये आरोप अंतर्गत **आयुध अधिनियम की धारा 25 खण्ड 1–बी के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष के कारावास और 1000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जा रहा है।**

अर्थदण्ड अदा न करने पर **01 माह** कारावास अतिरिक्त होगा।

इसी अपराध के लिए पूर्व मे बितायी गयी अवधि दण्ड में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्तगण **नदीम और वसीम** को सत्र परीक्षण सं0 425/2020 (मुकदमा अपराध सं0 108/2018) में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा **307** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से **दोषमुक्त किया जा रहा है।**

अभियुक्तगण **नदीम व तनसीर खाँ उर्फ तमसीर** को सत्र परीक्षण सं0 651/2022 (मुकदमा अपराध सं0 110/2018) में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा **413 , 414 , 420 , 467 , 468 व 471** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से **दोषमुक्त किया जा रहा है** तथा अभियुक्त **वसीम** को उक्त मुकदमे में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा **413 , 420 , 467 , 468 व 471** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से **दोषमुक्त किया जा रहा है।**

अभियुक्त **वसीम** के बन्ध पत्र और उसके जमानतियों के प्रतिभूपत्र दायित्वों से मुक्त किये जा रहे हैं।

अभियुक्तगण **नदीम व तनसीर खाँ उर्फ तमसीर** के द्वारा दाखिल धारा 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत 20,000/–रूपये का एक प्रतिभू व बन्धपत्र अपील किये जाने की अवस्था में अपीलीय न्यायालय के आदेश तक तथा अपील न किये जाने पर अपील की अवधि समाप्त होने तक प्रभाव में रहेंगे।

निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

दिनांक– 06.08.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया और दिनांकित करते हुए हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक– 06.08.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा।